

श्री 0 रोशन अकबर

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

लेखा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 10 दिसम्बर, 2016

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहे से आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (राज्य मार्ग सं०-62) के किमी०-11 तक मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण (मार्ग के दोनों ओर साईकिल ट्रैक, फुटपाथ, आदि को सम्मिलित करते हुए) कार्य (ल० 9.90 किमी०) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-4441नि०/102-01नि०/2016-17, दिनांक 07-11-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहे से आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (राज्य मार्ग सं०-62) के किमी०-11 तक मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण (मार्ग के दोनों ओर साईकिल ट्रैक, फुटपाथ, आदि को सम्मिलित करते हुए) कार्य (ल० 9.90 किमी०) की आंकलित लागत रु० 9921.00 लाख (रुपये नित्यानवे करोड़ इक्कीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रु० 992.00 लाख (रुपया नौ करोड़ बानवे लाख मात्र) की धुबराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	आंकलित लागत	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन
1	2	3	4	6	7	5
1	आगरा	जनपद आगरा में फतेहाबाद रोड पर अवन्तीबाई चौराहे से आगरा-बाह-कचौराघाट मार्ग (राज्य मार्ग सं०-62) के किमी०-11 तक मार्ग का छः लेन चौड़ीकरण (मार्ग के दोनों ओर साईकिल ट्रैक, फुटपाथ, आदि को सम्मिलित करते हुए) कार्य (ल० 9.90 किमी०)	9921.00	782.00	210.00	992.00

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आमजन मठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु

- (2) प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय प्राप्ति, बजट के अध्याय-12 के प्रस्ताव-18 में निर्मित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सबसे उत्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
- (3) कार्य की विशेषितियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी तथा सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
- (4) प्रस्तावित स्वीकृति परिषद के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीओएल0ए0 में न रबी जाय।
- (6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुष्य किया जायेगा।
- (7) प्रस्तावित धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक मद में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।
- (8) प्रस्तावित कार्यों की द्वािराप्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
- (9) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशेषितियां एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशेषितियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/डाइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- (10) प्रायोजना के सम्बन्ध में समस्त वैधानिक अनापत्तियाँ तथा वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ति सक्षम वैधानिक प्राधिकारी से प्राप्त करने तथा इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में निर्माण कराये जाने से पूर्व मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अन्य सम्बन्धित संस्थाओं से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ही निर्माण कार्य आरम्भ किया जाय।
- (12) योजना में संरक्षित वन 15.51 हे0 है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व भारत सरकार के वन व पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
- (13) प्रायोजना में विद्युत पोल व लाइन एवं टेलीफोन लाइन की शिफ्टिंग तथा वन विभाग को देय धनराशि का प्राविधान किया गया है। अतः इन विभागों द्वारा इन कार्य मदों का विस्तृत आगणन गठित किया जाय तथा इस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन/तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।
- (14) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।
- (15) लेबर सेट की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
- (16) मूल्य हास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
- (17) प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गों का निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गों के सुदृढीकरण/चौड़ीकरण

(c)

यह सूचना 30.11.2015 को जारी की गई थी।
 1- मालखण्ड प्रथम (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
 2- मण्डलनायक, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, आगरा।
 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1; उ०प्र० शासन।
 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
 13- गार्ड फाइल।

भवदीया
 (डॉ० रोशन जैकब)
 विशेष सचिव।

संख्या-249(1/23-11-2015-1/2(201)2015-तद दिनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलनायक, आगरा मण्डल/जिलाधिकारी, आगरा।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (आगरा क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, आगरा।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1; उ०प्र० शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
 (डॉ० रोशन जैकब)
 विशेष सचिव।